न्यायालय, पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर(म.प्र.)

पुलिस कन्ट्रोल रूम, पलासिया, इन्दौर

आदेश

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

इंदौर में कई स्थानों पर बिना अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो निकोटीन युक्त तंबाकू, गुड़ सहित सुगंधित हुक्का परोस रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है और कभी–कभी यह संदेह होता है कि अलग–अलग इन हुक्का बारों में परोसे जाने वाले तंबाकू के शीरे में तंबाकू से अन्य हानिकारक नशीले रसायन भी मिलाए जाते हैं। जबकि, इनमें से कई बारों में लोगों/ग्राहकों द्वारा एक आम कटोरी, पाइप और मुंह के टुकड़े वाली एक नली के माध्यम से हुक्का धूम्रपान/सेवन किया जा रहा है, जो जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में जन सामान्य के स्वास्थ्य और सदभावना को देखते हुए उक्त प्रथा पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में हुक्का बार एवं हुक्का परोसने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो, **दि.10.11.2023** तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

यह आदेश आज **दि. 13.09.2023** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रांकित कर ज़ारी किया गया है।

(मकरंद देऊस्कर)
पुलिस आयुक्त,
नगरीय इन्दौर(मप्र)

क्रं/न्याया–पु.आयु/इं/(144 दप्रसं)/ 61–B /2023 दि. 13.09.2023

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (कानून व्यवस्था/अपराध एवं मुख्यालय) इन्दौर।
4. जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर।
5. पुलिस उपायुक्त, जोन–01/जोन–02/जोन–03/जोन–04 नगरीय इन्दौर।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।
7. अपर कलेक्टर, कनाड़िया/मल्हारगंज/राऊ/जूनी इन्दौर/बिचौली हप्सी, इन्दौर।
8. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन–01/जोन–02/जोन–03/जोन–04 नगरीय इन्दौर।

पुलिस आयुक्त
इन्दौर

क्रमशः............2

9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कनाड़िया/मल्हारगंज/राऊ/जूनीइन्दौर/बिचौली हप्सी, इन्दौर।
10. सहायक पुलिस आयुक्त, मल्हारगंज/आजादनगर/गांधीनगर/परदेशीपुरा/विजयनगर/खजराना/कोतवाली/संयोगितागंज/हीरानगर/जूनीइंदौर/अन्नपूर्णा/सराफा, इंदौर।
11. समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस जिला इंदौर। (प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का प्रचार–प्रसार करने तथा कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित)
12. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर।

(मकरंद देऊस्कर)
पुलिस आयुक्त,
नगरीय इन्दौर(मप्र)

पुलिस आयुक्त
इन्दौर